रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1767] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 31, 2013/श्रावण 9, 1935
No. 1767] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 31, 2013/SRAVANA 9, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2013

का.आ. 2316(अ).— भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 को 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में भारत सरकार, भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 2 फरवरी, 2010 में प्रकाशित सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना सं.का.आ.235 (अ) दिनांकित 2 फरवरी, 2010 का एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से विखंडन करती है ।

[फा. सं. एनएच-14013/18/2012-पीएंडएम]

माया प्रकाश, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2013

S.O. 2316(E).— In exercise of powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 235 (E), dated 2nd February, 2010 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 2nd February, 2010, with immediate effect.

[F. No. NH-14013/18/2012-P&M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2013

का.आ. 2317(अ).— भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में केन्द्रीय सरकार तत्कालीन पोत, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) में भारत सरकार की अधिसूचना सं.का.आ.1192 (अ) दिनांकित 3 दिसम्बर, 2001 में एतदद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की तालिका में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.1 के सामने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के संबंध में कालम सं.(1), (2) और (3) के अंतर्गत प्रविष्टियों का विलोपन होगा ।

[फा. सं. एनएच-14013/18/2012-पीएंडएम]

माया प्रकाश, उप-सचिव

टिप्पणी : मूल अधिसूचना, सं.का.आ.1192(अ) दिनांक 3 दिसम्बर, 2001 के तहत प्रकाशित की गई थी ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2013

S.O. 2317(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways), number S.O. 1192(E), dated the 3rd December, 2001 namely:-

In the Table to the said notification, against National Highway number 1, the entries under column numbers (1), (2) and (3) in respect of National Capital Territory of Delhi shall be omitted.

[F. No. NH-14013/18/2012-P&M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Note: The principal notification was published vide number S.O. 1192(E), dated the 3rd December, 2001.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2013

का.आ. 2318(अ).— राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में केन्द्रीय सरकार, तत्कालीन पोत, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की दिनांक 4 अगस्त, 2005 की भारत सरकार की अधिसूचना सं.का.आ.1096 (अ) में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 27 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"27	इस प्रकार अधिकांश राष्ट्रीय राजमार्ग सं.1, सं.10, सं.24 और सं.236 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के भीतर स्थित हैं ।	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार "

[फा. सं. एनएच-14013/18/2012-पीएंडएम]

माया प्रकाश, उप-सचिव

टिप्पणी : मूल अधिसूचना संख्या का.आ.1096 (अ) दिनांक 4 अगस्त, 2005 के तहत और अंतिम संशोधित सं.का.आ.1402(अ) दिनांक 31 मई, 2013 के तहत प्रकाशित की गई थी ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2013

S.O. 2318(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the Schedule to said notification, for serial number 27 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

"27	So much of National Highway No. 1, No. 10, No.24 and No. 236 as are situated within the National Capital Territory of Delhi.	Government of National Capital Territory of Delhi."

[F. No. NH-14013/18/2012-P&M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Note: The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and last amended vide number S.O. 1402 (E), dated the 31th May, 2013.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.